न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारीः—उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः—67 / 2019
वादपत्र अन्तर्गत धारा संख्याः— 53 आरटीए

सुखराज सिह पुत्र तोता सिह जाति रामगढिया सा संगरिया तह. संगरिया जिला हनुमानगढ राज0

—वादी

बनाम

1. मन्द्र सिह पुत्र अजमेर सिह जाति रामगढिया सा. सतीपुरा तह. व जिला हनुमानगढ (राज.)
2. तहसीलदार राजस्व संगरिया तह संगरिया

प्रतिवादीगण

उपस्थित :— श्री नक्षत्र सिह सिद्धू अधिवक्ता वादी
श्री गुरमीत सिह कलसी अधिवक्ता प्रति सं. 1
राज—पेरोकार प्रतिवादी संख्या 2

निर्णय दिनांक :— 05.04.2019

वादीगण सुखराज सिह आदि ने प्रतिवादीगण के विरूद्व यह दावा बाबत इस्तकरार हक का इस न्यायालय में पेश किया किवादीगण एंव प्रतिवादीगण का पंजीयत पता सिविल प्रकिया संहिता के आज्ञापक प्रावधानो के मुताबिक वही है जो कि दावा शीर्षक मे दर्ज है।

वादी के नाम चक 16 एम.के.एस. खाता स. 139 / 94 खाता मन्द्र सिह वगैरा ज. स. 2070—73 में सांझा खाता में आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है।जिसकी जमाबन्दीं संलग्न है। कुल आराजी का विवरण निम्न प्रकार से है चक 16 एम.के.एस.. खाता स. 139 / 94 में दर्ज कुल 0.139है0 आराजी चक 16 एम.के.एस.. खाता स. 139 / 94 खाता मन्द्र सिह वगैरा ज. स. 2070—73 में 0.0734है0 आराजी वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। दफा 2 में दर्ज वादग्रस्त आराजी का वादी ने प्रति स. 1 के साथ अच्छी में से अच्छी तथा मंदी में से मंदी के मुताबिक घरू विभाजन कर रखा है। मुताबिक घरू विभाजन प्राप्त आराजी का वादी निम्नानुसार खाता अलग अलग कायम करवाने के अधिकारी एवं दावेदार है वादी सुखराज सिह पुत्र तोता सिह का हिस्सा चक 16 एमकेएस पं.नं. 164 / 227 मु.नं. 48 किला ंन. 6 / 1 / 0.0734 = 0.0734 है0

वादी दावा की दफा 3 के मुताबिक काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है कब्जा काश्त बाबत कोई विवाद नही है लेकिन उक्त आराजी साझा खाता मे दर्ज होने के कारण वादी के खातेदारी अधिकारो पर बुरा प्रभाव पडता है। इसलिये वादी ने प्रतिवादीगण से कई दफा निवेदन किया कि वे वादी का खाता दावा की दफा 3 के मुताबिक अलग कायम करवा इसी मुताबिक राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करवा रकम राज अलग कायम करवा लेवे लेकिन पहले तो वे टालमटोल करते रहे लेकिन अन्त मे पिछले सप्ताह वे वादी के इस निवेदन से स्पष्ट इंकारी हो गये। यही विनाय दावा है।

उक्त दावा पेश होने पर तथा सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया, तथा प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या 1 ने जरिए वकील एवं स्वयं हाजिर आकर उक्त दावे में जवाबदावा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 2 राज–पेरोकार ने अपना जवाब दावा पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। साक्ष्य वादी सुखराज सिह का शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी पेश किया जो शामिल पत्रावली किया।

बहस उभय पक्ष सुनी गई वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने वाद पत्र की चरण संख्या 3 के अनुसार डिक्री करने की इस्तदुआ की एवं प्रतिवादी 2 द्वारा अपने जवाब दावा में वाद पत्र को राज्यहित हित ध्यान में रखते हुए वाद पत्र को डिग्री किये जाने का कथन किया तथा मेरे द्वारा बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत किए गए जवाबदावा एव पत्रावली तथा रिकार्ड का अवलोकन एवं मनन करने पर वादी का वाद डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

उक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद पत्र डिग्री किया जाता है कि वादी का चक 16 एमकेएस के पं.नं. 164/227 मु.नं. 48 किला नं. 6/1/0.0734 है. भूमि का खाता अलग कायम कर रकम राज अलग से किया जाता है। नियमानुसार स्टाम्प ड्युटी जमा होने पर पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसला शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 05.04.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारीः–उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः–67/2019
वादपत्र अन्तर्गत धारा संख्याः– 53 आरटीए

सुखराज सिह पुत्र तोता सिह जाति रामगढिया सा संगरिया तह. संगरिया जिला हनुमानगढ राज0

–वादी

बनाम

1. मन्द्र सिह पुत्र अजमेर सिह जाति रामगढिया सा. सतीपुरा तह. व जिला हनुमानगढ (राज.)
2. तहसीलदार राजस्व संगरिया तह संगरिया

–प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री नक्षत्र सिह सिद्धू वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री गुरमीत सिह कलसी वकील प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि वादी का चक 16 एमकेएस पं.नं. 164/227 मु.नं. 48 किला नं. 6/1/0.0734 है. भूमि का खाता अलग कायम किया जाकर रकम राज अलग से कायम किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति में ऋण यथावत रहेगा।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत.....निल.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक.....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 05.04.2019 को जारी किया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2019.11.22 13:49:28 IST
Reason: SelfAttested
Location: